



मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्टान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन नं०-0522-2308501-02

ई मेल lkoindm@gmail.com

फैक्स नं०-2304363

वेबसाइट www.upmdm.org

पत्रांक: म०भ०प्र०/सी-३३२ / 2010-11

दिनांक: 10 मई, 2010

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा सामुदायिक सहभागिता का बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के राजकीय/परिषदीय/सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "माता-अभिभावक संघ" को और प्रभावी किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय के पत्र सं०: 3131/79-6-2007, शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 (*छायाप्रति संलग्न*) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत "माता-अभिभावक संघ" के गठन एवं संघ के दायित्व के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। समय-समय पर योजना के दृष्टिगत अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि माता-अभिभावक संघों का गठन तो विद्यालयों में हो चुका है, परन्तु योजना के कार्यान्वयन को उत्कृष्ट बनाने हेतु उनकी वांछित सहभागिता नहीं हो सकी है। योजना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्याह्न भोजन बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की स्थानीय स्तर पर निगरानी करायी जाये तथा साथ ही समुदाय को इसके प्रति कर्तव्य बोध भी कराया जाये जिससे कि भोजन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में पका-पकाया भोजन उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20 मई, 2010 को "माता-दिवस" के रूप में निश्चित करत हुए उल्लिखित शारानादेश की गंशानुरूप विद्यालयों में निम्न कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय:

1. 20 मई, 2010 को "माता-दिवस" के रूप में मनाये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उक्त तिथि को विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्रों की माताओं/अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाये।
2. समस्त ग्राम प्रधानों को, ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले विद्यालयों में माताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का दायित्व दिया जाए।
3. विद्यालयों में उपस्थित माताओं/अभिभावकों को उक्त शारानादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को पढ़कर सुनाया जाए तथा प्रधानाध्यापक द्वारा उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करायी जाये।

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा-6 अनुभाग

लखनऊ

दिनांक

03 दिसम्बर, 2007

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के राजकीय/परिषदीय/सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "माता-अभिभावक संघ" का गठन किया जाना।

महोदय,

मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित संवेदनशील योजना है। विगत दिवसों में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने से कतिपय विद्यालयों में बच्चों के बीमार होने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि योजना से आच्छादित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के निमित्त "माता-अभिभावक संघ" का गठन किया जाय। जिससे बच्चों को इस योजनान्तर्गत उनकी माताओं की निगरानी में सतत रूप से गुणवत्ता पूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों में "माता-अभिभावक संघ" का गठन निम्नवत् होगा :-

- | | |
|--|--------------|
| 1. ग्राम प्रधान | - संरक्षक |
| 2. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताओं के बीच से चुनी गयी महिला | - अध्यक्ष |
| 3. विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों की माताएं | - सदस्य |
| 4. विद्यालय के सभी सहायक अध्यापक | - सदस्य |
| 5. शिक्षा मित्र | - सदस्य |
| 6. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका | - सदस्य/सचिव |

जबकि नगर क्षेत्रों में स्थित उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों में माता-अभिभावक संघ का गठन निम्नवत् होगा :-

- | | |
|--|--------------|
| 1. वार्ड सभासद | - संरक्षक |
| 2. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताओं के बीच से चुनी गयी महिला | - अध्यक्ष |
| 3. विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों की माताएं | - सदस्य |
| 4. विद्यालय के सभी सहायक अध्यापक | - सदस्य |
| 5. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका | - सदस्य/सचिव |

माता-अभिभावक संघ की नियुक्ति में प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक आयोजित की जाएगी जिसमें मध्याह्न भोजन बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विचार विमर्श के उपरान्त आवश्यक सुझाव तैयार की

जाएगी जिसके तहत रोरटर के आधार पर प्रत्येक विद्यालय दिवस के लिए विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताओं में से कम से कम एक माता को विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन बनवाने हेतु नामित किया जाएगा। यह संघ यह सुनिश्चित करेगा कि-

1. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को प्रत्येक विद्यालय दिवस विद्यालय आने पर मीनू के अनुसार पूरी मात्रा में शुद्ध गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. मध्याह्न भोजन पकाने में खाद्यान्न-गेंहूँ, चावल, दाल आदि का प्रयोग करने से पूर्व उनको अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया गया है, ताकि उनको संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए गये रसायनों का कोई अंश उनमें बाकी न रह जाए।
3. हरी सब्जियों को पकाने से पूर्व अच्छी तरह धो लिया जाए ताकि इनमें कीटनाशक का कोई दुष्प्रभाव शेष न रह जाए।
4. भोजन पकाने में एगमार्ग मसालों तथा आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया जा रहा है।
5. खुले तेल एवं घी का प्रयोग वर्जित है। अतः अच्छे ब्रान्ड के सील बन्द तेल एवं घी का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
6. बच्चों को भोजन पकाने के स्थान से दूर रखा जाए तथा किसी भी दशा में भोजन पकाने में बच्चों की सहायता न ली जाय।

7. भोजन पकाने के समय स्वच्छता एवं सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
8. बच्चों को भोजन वितरित करने से पूर्व अपनी निगरानी में भोजन तैयार कराने वाली माता द्वारा योजना को स्वयं चखा जाएगा तथा रसोइये एवं विद्यालय के अध्यापक द्वारा भी भोजन का चखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी प्रविष्टि विद्यालय पर इस निमित्त रखे गये रजिस्टर में तत्समय ही अनिवार्य रूप से की जाएगी तथा भोजन चखने का समय अंकित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाय। जिला स्तर पर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व जिलाधिकारी/सी.डी.ओ./जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। जबकि ब्लाक स्तर पर इस हेतु बी.डी.ओ./सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत प्रभारी एवं स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान/वार्ड समासद तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

ह0

(प्रशान्त कुमार मिश्र)

मुख्य सचिव

पृष्ठांकन: समसंख्यक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, निशातगंज लखनऊ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बी0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

ह0

(आर.सी.घिल्डियाल)

संयुक्त सचिव

प्रेषक,
जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
सनस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विभाग (6) अनुभाग

लखनऊ दिनांक: २५ अप्रैल, 2010

विषय: प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके-पकाये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु रसोईये का चयन एवं नियत मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहलानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई०सी०जी०आई० केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनांक-26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ०एन०ओ०1-1/2009-डेस्क(एम०डी०एम०) दिनांक-24.11.09 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनांक-26.12.09 द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू० 1000/- की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनांक-26.12.09 द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, वार्ड शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूह से आच्छादित विद्यालयों तथा एन०जी०ओ० द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनवाने की स्थिति में तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनवाने की स्थिति में रसोईये की संख्या हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
1	25 तक	1
2	26-100	2
3	101-200	3
4	201-300	4
5	301-1000	5
6	1001-1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोईये के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोईये के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउण्ट पर बैंक के माध्यम से किया जायेगा। रसोईये के मानदेय हेतु निर्धारित धनराशि रू० 1000/- प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि/वार्ड शिक्षा निधि के खाते में भेजी जायेगी। जबकि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एन०जी०ओ० तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में यह धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं के खाते में भेजी जायेगी।

3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये का मानक शासनादेश संख्या-1429/79-6-04-1(6)/2000 टी.सी.-3 दिनांक-25 फ़रवरी, 2009

(छात्रप्रति संलग्न) द्वारा गठित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। रसोईये के चयन हेतु चयन की प्रक्रिया, चयन हेतु अर्हता एवं निष्कारण की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

रसोईये का चयन उपरोक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2 दि० 25.06.2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा -

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5- अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग

तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोईया अनुमन्य होने की स्थिति में एकल पद होने के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा।

4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी के परित्यक्ता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

रसोईये के चयन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोईये का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जायेगा। किसी विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले रसोईयों में से शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक के अनुसार अनुमन्य रसोईये की संख्या के दो गुना रसोईयों का पैनल तैयार किया जायेगा। किसी रसोईये के बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी विद्यालय दिवस में अनुपस्थित होने पर इस पैनल की प्रतीक्षा सूची में से रसोईये को अनुपस्थित रसोईये के कार्य पर वापस आने तक लगाया जा सकेगा। इस रसोईये को प्रतिदिन रु० 45 की दर से मानदेय देय होगा जो कि अनुपस्थित रसोईये के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसे अतिरिक्त रसोईये को किसी माह विशेष में अधिकतम रु० 1000 का ही मानदेय अनुमन्य होगा अर्थात् किसी माह विशेष में 23 व इससे अधिक विद्यालय दिवस होने की स्थिति में रु० 1000 मानदेय ही दिया जायेगा।

5. रसोईयों का चयन करने वाली ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि मध्याह्न भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित होने, किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्ति-युक्त कारण, जिसके कारण ग्राम समिति भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के हित में रसोईये से कार्य लेना उचित न समझे, के विद्यमान होने की स्थिति में रसोईये को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अगले अभ्यर्थी को रसोईये के काम पर लगा सकेगी। ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोईये के निष्कारण की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी।

इस संदर्भ में वर्ष 2010-11 हेतु रसोईयों के चयन के लिए विज्ञापन मध्याह्न भोजन प्राधिकरण स्तर से दि० 27.04.2010 तक प्रकाशित किया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दे दिये जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार

ग्राम पंचायत/वार्ड समितियों के माध्यम से योजना से आच्छादित विद्यालयों के परिप्रक्ष्य रसोईयों की संख्या विद्यालयवार निर्धारित करते हुए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सभासद को सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संसूचित करें। इस संसूचिक विवरण को गंध्यान्द् भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाय, जिससे इच्छुक सामान्यजन इस विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकें। ग्राम पंचायत और वार्ड सभासद के स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय संसाधनों यथा ड्रुगड्रुगी आदि का भी प्रयोग किया जाये, ताकि सभी अर्ह अभ्यर्थियों को रसोईये के चयन के संबंध में उपलब्ध रिक्तियों आदि की जानकारी हो सके।

6. वर्ष 2010-11 के बाद आगामी प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए चयन विगत शिक्षा सत्र समाप्त होने के पूर्व अप्रैल से मई माह में कर लिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जायेगा। जिसमें अर्ह अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 10 दिन का समय प्रदान करते हुए विज्ञापन में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के अध्यक्ष सचिव (सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक) के पास आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि भी अंकित कर दी जाये (आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक-1)। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाये कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त उसको जवती हसीद दी जायेगी। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने की दिशा में संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत तिथि के अपराहन 5.00 बजे तक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु लगाये गये ड्राप बाक्स में अपना आवेदन डाल सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदन पत्रों को आगामी 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को सहपाक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगा। इसके उपरान्त ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा आगामी 1 सप्ताह के अन्दर रसोईये के चयन की कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा समिति के सदस्य सचिव द्वारा इसकी लिखित सूचना विलम्बतम् 7 मई तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरुद्ध सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को समझ अपील को जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर अपील का निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

सहायता प्राप्त विद्यालयों, मकतब/मदरसों, स्वयं सहायता समूह तथा एन0जी0ओ0 द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में रसोईये का चयन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के ऊपर चयन प्रक्रिया संबंधी उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

पू0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- समस्त मण्डलानुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मण्डल विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
- 4- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

21/4/10

प्रेषक,
श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक- 25 जून, 2004

विषय: प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन (कुकड मील) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-196/2001 पीपुल्स युनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2001 के समादर में श्री राज्यपाल महोदय गरीबी रेखा के क्रम में नीचे से चयनित-प्रदेश के 25 प्रतिशत अर्थात् 16 निम्न जनपदों- 1. बहराइच, 2. हरदोई, 3. लखीमपुर खीरी, 4. सोनभद्र, 5. उन्नाव, 6. रायबरेली, 7. प्रतापगढ़, 8. सीतापुर, 9. गोण्डा, 10. फैजाबाद, 11. बाराबंकी, 12. मऊ, 13. इटावा, 14. सुल्तानपुर, 15. लखनऊ, 16. शाहजहाँपुर में बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन (कुकड मील) योजना लागू किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ई०जी०एस० केन्द्रों में कक्षा-1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वर्ष में कम से कम 200 दिन पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन हानी अनिवार्य है।

2. भारत सरकार द्वारा तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न से बच्चों को ग्राम पंचायत/वार्ड कमेटियों के माध्यम से पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यवस्था की जाएगी जिसके अन्तर्गत गेहूँ बाहुल्य क्षेत्रों में दलिया (मीठा), नमकीन दाल रोटी अथवा सब्जी रोटी अथवा चावल बाहुल्य क्षेत्रों में खिचड़ी, तहरी, दाल चावल, सब्जी चावल तैयार कराकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निर्धारित पौष्टिकता का स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से दाल अथवा सब्जी का उपयोग स्थानीय स्तर पर मौसम के आधार पर किया जा सकेगा।

3. भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता न लेते हुए ग्राम पंचायतों की सहायता ली जाएगी तथा भोजन पकाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप)/एन. जी.ओ. की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेंगी।

4. खाना पकाने के लिए सामग्री/मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) निम्नलिखित स्रोतों से वहन की जाएगी :-

1. 25 प्रति.पी.एम.जी.वाई.योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से।
2. 25 प्रतिशत राज्य सरकार से वित्त पोषण से।
3. 50 प्रतिशत खाद्यान्न के रूप में खाना पकाने वाली संस्था को (02 किग्रा प्रति छात्र प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराकर) (यह खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध

कराये जा रहे खाद्यान्न का ही अंग होगा। अतः इस निमित्त धनराशि को खर्च करने से बचाकर (अवशेष धनराशि को खर्च करने से बचाकर) करारते हुए अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता न होगी)

5. ग्रामीण क्षेत्र में किचेन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) एवं शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में किचेन शेड का निर्माण नेशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम से दिया जाएगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हांकित नवीन विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान से किया जाएगा।

6. खाना पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से की जाएगी।

7. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्यय में करायी जाएगी जिसे आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग को अवमुक्त किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भोजन प्रकाश उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग का होगा।

8. ग्राम प्रधान/अध्यक्ष वार्ड समिति द्वारा बच्चों का सत्यापन संख्या के आधार पर कराते हुए प्रतिमाह कन्वर्जन कार्ड की धनराशि अग्रिम के रूप में की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए अगले माह हेतु अनाज एवं कन्वर्जन कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा/सकेगी।

विद्यालयों में पका-पकाया भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं समिति निम्नवत् गठित की जाएगी।

- | | |
|--|---------|
| 1. ग्राम प्रधान | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों | सदस्य |
| 3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक | सदस्य |
| 4. दो पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होंगे | सदस्य |

9. नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के बच्चों हेतु पका-पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की जाएगी:-

- | | |
|---|---------|
| 1. सम्बन्धित वार्ड समासद | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित वार्ड समासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक | सदस्य |
| 4. दो पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि जो वार्ड के समासद द्वारा मनोनीत होंगे | सदस्य |

10. प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को पका-पकाया भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाएगी जिसकी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

- | | |
|---|------------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4. जिला विद्यालय निरीक्षण | सदस्य |
| 5. जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 6. जिला पंचायत राज अधिकारी | सदस्य |
| 7. सम्बन्धित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी | सदस्य |
| 8. जिला पूर्ति अधिकारी | सदस्य |

9. भारत खाद्य निगम/उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी सदस्य
11. उक्त योजना की नियमित समीक्षा/अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर भी निम्नवत् एक समिति गठित की जाएगी जो योजना की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करेगी:-

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास
6. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग
10. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद
12. इस योजना पर आने वाले व्यय-भार के निमित्त वित्तीय स्वीकृत के आदेश अलग से निर्गत किए जाएंगे।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अद्विशासकीय संख्या-ई-11/1047/दस-2004 दिनांक 18.6.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय
ह०
(हरिराज किशोर)
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
ह०
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

रसोईया के चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नवीन
स्वहस्ताक्षरित फोटो

नाम :

पिता/पति का नाम :

लिंग :

- श्रेणी : 1 अनुसूचित जाति
2 अनुसूचित जनजाति
3 अन्य पिछड़ा वर्ग
4 सामान्य

(नोट : श्रेणी के आगे बने बॉक्स में (✓) का चिन्ह अंकित करें।)

वैवाहित स्थिति : 1 विवाहित/अविवाहित

2 विधवा/परित्यक्ता

(नोट: परित्यक्ता की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।)

आवेदक के बच्चे का नाम :

विद्यालय का नाम(जहाँ अध्ययन कर रहा है).....

कक्षा

आवेदक से संबंध

आवेदक का पता :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

परित्यक्ता हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री पिता.....
.....निवासी.....
.....दिनांक से अपने पति श्री
से विलग होने के उपरान्त अपने पति के निवास
से अलग में निवास कर रही हैं।

जारी करने की तिथि :

ग्राम पंचायत अधिकारी का हस्ताक्षर
(नाम व मुहर सहित)